राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022–23

कृषकों की सहभागिता

- योजना मे प्रदेश का कोई भी किसान जिसने राजसीड्स का बीज क्रय किया हो, सहभागिता कर सकता है।
- बीज क्रय करने पर जारी बिल एवं उपहार कूपन के आधार पर किसानों को उपहार देय होगा।
- क्रय किये गये बीज के बैगस् मे निकले उपहार कूपन अथवा बीज क्रय करते समय विक्रेता से प्राप्त उपहार कूपन की कार्यालय प्रति मे अंकित सूचनाओं को पूर्ण भरकर बीज विक्रेता संस्था, जी.एस.एस. / के.वी.एस.एस. / निजी बीज विक्रेता / निगम की दुकान / अपने नजदीकी संयंत्र कार्यालय मे रखे सील्ड बॉक्स मे निर्धारित तिथि तक अवश्य डालें।
- योजना मे भाग लेने हेतु राजसीड्स का बीज संयंत्र कार्यालय, बीज विस्तार केन्द्र, निगम के आउटलेट, अधिकृत निजी विक्रेता से सम्पर्क कर बीज प्राप्त करें।

उपहार

- प्रत्येक जिला स्तर पर 51 कृषकों को उपहार दिये जावेगें।
- बम्पर उपहार 1 टैक्टर, 20 बैट्री ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर, 30 किसान टॉर्च।
- प्रदेशभर मे किसानों को 33 टैक्ट्रर, 660 बैट्री ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर एवं 990 किसान टॉर्च इस प्रकार कुल 1683 उपहार दिये जावेगें।

उपहार लॉटरी

- प्रत्येक जिले मे उपहार कूपनस् की सील्ड बॉक्स से लॉटरी निकाली जावेगी।
- लक्की ड्रॉ मे विजेता प्रत्येक जिले के 51 कृषकों को उपहार दिये जावेगें।
- एक कृषक को एक ही उपहार देय होगा।
- प्राप्त उपहार कूपन को पूर्ण भरकर खरीद स्थान पर रखे सील्ड बॉक्स मे निर्धारित तिथि तक 10 जनवरी 2023 तक आवश्यक रूप से डाले।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं बिना अंकित सूचनाओं को भरा हुआ अपूर्ण उपहार कूपन स्वीकार्य नही होगा।
- उपहार प्राप्त करने तक उपहार कूपन की कृषक प्रति एवं क्रय किये गये बीज का बिल सुरक्षित रखना होगा।

अधिक जानकारी हेतु निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक / संयंत्र प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते है।